रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 1999/ज्येष्ठ 28, 1921
No. 347] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 1999/JYAISTHA 28, 1921

12/11/99

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1999

का.आ. 460 (अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए नागालैंड वन संरक्षण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे।

(i) श्री ए.जी.गोखले, मुख्य सचिव, नागालैंड	अध्यक्ष
(ii) श्री एम.सी.घिल्डियाल, वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल	सदस्य
(iii) श्री टी.अगामी, प्रधान सचिव(वन), नागालैंड	सदस्य
(iv) डॉ. टी. पटवर्धन, पुणे विश्वविद्यालय	सदस्य
(v) श्री प्रमोद कान्त, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पूर्वोत्तर क्षेत्र, नागालैंड	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण नागालैंड राज्य में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य करेगा तथा वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक निदेश देगा:-

(i) उक्त अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (2) के खंड (i), (iii), (v), (vi), (ix), (x), (xiii), और (xiv) में उल्लिखित विषयों के संबंध में निदेश जारी करने तथा उपाय करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना।

(ii) निम्नलिखित के संबंध में उच्चतम न्यायलय द्वारा समय-समय पर 1995 की सिविल रिट याचिका सं0 202 में दिए गए निदेशों के यथा-समय कार्यान्वयन को मॉनीटर करना तथा आवश्यक निदेश जारी करना:-

(क) राज्य में काटकर गिराई गई इमारती लकड़ी का व्ययन;
(ख) राज्य में सतत् आधार पर कार्य कर सकने वाले काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या अवधारित करना;
(ग) औद्योगिक सम्पदाओं से संबंधित मुद्दे;
(घ) काष्ठ आधारित उद्योगों का पुनर्स्थापन और अनुज्ञापन;
(ड.) वनों का वैज्ञानिक प्रबंध;
(च) इमारती लकड़ी की कीमत और स्वामित्व का नियतन;
(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय जो वन एवं पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंध तथा काष्ठ आधारित उद्योगों के कार्यकरण से संबंधित हो।

(iii) गैर-सरकारी वनरोपण क्षेत्र का विकास और विनियमन।

3. प्राधिकरण अपने कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में किसी व्यक्ति(यों) को आमंत्रित कर सकता है।
4. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन होंगे।
5. प्राधिकरण दो मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
6. प्राधिकरण में नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य अपने सामान्य शासकीय कर्तव्यों के अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित कृत्य करेंगे।
7. आदेश के पैरा 2 के अधीन की गई किसी कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
8. प्राधिकरण की अधिकारिता नागालैंड राज्य पर होगी।
9. प्राधिकरण का मुख्यालय कोहिमा, नागालैंड में होगा।
10. राज्य सरकार, श्री एम.सी. धिल्डियाल, श्री टी.पटवर्धन और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, शिलोंग के यात्रा खर्चों के सिवाय, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा, प्राधिकरण के कार्यकरण से संबंधित सभी खर्चे वहन करेगी।

[फा. सं० 13-4/99-एस.यू.]

विश्वनाथ आनन्द, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 16th June, 1999

S.O. 460(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as Nagaland Forest Protection and Development Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of following persons for a period of two years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette namely :-

i) Shri A.G.Gokhale, Chief Secretary, Nagaland – Chairman

ii) Shri M.C .Gildiyal, Presently Principal Chief Conservator of Forests, Uttaranchal- Member.

iii) Shri T.Angami, Principal Secretary (Forests), Nagaland - Member.

iv) Dr.T.Patwardhan, Pune University. —Member

v) Shri Promode Kant, Regional Chief Conservator of Forests, North-East Region, Shillong - Member Secretary

2. The Authority shall exercise the following powers and perform such functions and give necessary directions for protecting forest and environment in the State of Nagaland, namely:-

(i) exercise the powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, for issuing directions and for taking measures with respect to matters referred to in clause (i), (iii), (v), (vi), (ix), (x), (xiii) and (xiv) of sub-section (2) of the section (3) of the said Act.

(ii) monitor and issue necessary directions for the timely implementation of directives given by the Supreme Court in Civil Writ Petition No.202 of 1995 from time to time, including and in respect of :

(a) disposal of felled timber in the State;

(b) to determine the number of wood-based industries which can work in the State on a sustainable basis ;

(c) issues related to industrial estates;

(d) relocation and licensing of wood based industries;

(e) scientific management of forests;

(f) pricing of timber and fixation of royalty;

(g) any other matter pertaining to protection and management of forest and environment and working of wood based industries as may be referred to the authority by the Central Government.

(iii) development and regulations of non Government afforested areas.

3. The authority may invite person (s) as special invitees to facilitate its working.
4. The foregoing powers and functions of the authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
5. The Authority shall furnish a progress report about its activities at least once in two months to the Central Government.
6. The Chairman and members of the Authority as appointed above, shall carry out the functions mentioned above, in addition to the normal official duties.
7. The Authority shall exercise the powers conferred under section 10 of the said Act, in respect of any action taken under para 2 of the order.
8. The authority shall have the jurisdiction over the State of Nagaland.
9. The authority shall have its headquarters at Kohima, Nagaland.
10. The State Government shall bear all expenses relating to working of authority except travelling expenses of Shri M.C.Gildiyal, Shri T.Patwardhan and RCCF, Shillong, which will be borne by Ministry of Environment and Forests

[F. No. 13-4/99-SU]
VISHWANATH ANAND, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054